न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम देहरादून।
राष्ट्रीय लोक अदालत (मई 10, 2025)
लोक अदालत पीठ संख्या :— 17

<u>दिनांक 10.05.2025</u>

पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत के समक्ष पेश। अभियुक्त उपस्थित नहीं। प्रस्तुत मामला वर्ष 2023 से न्यायालय के समक्ष लम्बित है तथा तब से मामला अभियुक्त की उपस्थिति हेतु चला आ रहा है। अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित कराने हेतु अनेक लोक अदालतों के लिए समन/ पोस्ट कार्ड भेजे जा चुके है किन्तु कोई उपस्थित नहीं हो रहा है।

प्रस्तुत मामला मोटर वाहन अधिनियम/83 पुलिस एक्ट से संबंधित है व समन मामला एवं लघु प्रकृति का है तथा न्यायालय द्वारा अभियुक्त को बार–बार समन जारी करने में होने वाला व्यय, अभियुक्त से वसूल किये जाने वाले जुर्माने से अधिक हो रहा है। मामला वर्ष 2023 से अभियुक्त की उपस्थिति हेतु लंबित चला आ रहा है लेकिन अभी तक इस मामले में अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित नहीं हो पायी है तथा उक्त परिस्थितियों में ऐसा प्रतीत होता है कि भविष्य में भी अभियुक्त की उपस्थिति न्यायालय में सुनिश्चित हो पाना संभव नहीं है।

अतः मामला पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित एक समन मामला है तथा अपराध अर्थदण्ड से भी दण्डनीय है। उपरोक्त तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये कार्यवाही धारा 258 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत रोकी जाती हैं। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

सुश्री नुपुर मित्तल
एडवोकेट/सदस्य

(भावना पाण्डेय)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम
देहरादून।